

छुट्टी की अर्जी के लिए फार्म

Form of application for Leave

(अनुपूरक नियम 216 देखिए See supplementary Rule-216)

टिप्पणी - मद सं 1 से 12 प्रत्येक प्रार्थी को भरना चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित  
Item 1 to 12 must be filled in by all applicants whether Gazetted or non Gazetted

1	प्रार्थी का नाम/Name of Applicant	
1(a)	कर्मचारी कोड / Employee Code	
2	लागू होने वाली छुट्टी नियमावली Leave Rule applicable	
3	पद/ Post Held	
4	विभाग, कार्यालय और अनुभाग Deptt, Office & Section	
5	वेतन Pay	
6	वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिपूरक भत्ता House Rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowance drawn in the present post	
7	मांगी गई छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख Nature and period of leave applied for and date from which required	
8	रविवार और छुट्टी के दिन यदि कोई हो, जिन्हे छुट्टी से पहले या बाद में जोड़ना चाहते हैं। Sundays and Holidays if any proposed to be prefixed/ suffixed to leave.	
9	छुट्टी का कारण Reason for Leave	
10	पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म और अवधि Date of return from last leave and the nature & period of that leave	
11	छुट्टी के समय पता Address during Leave Period	
12	मेरा विचार आगामी छुट्टी में..... के खंड वर्ष के लिए छुट्टी यात्रा की रियायत लेने का है;/नहीं है। I propose/ do not propose to avail myself of leave travel concession in the block years.....during the ensuing leave.	

- 13 मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी / परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गए छुट्टी वेतन और आधे औसत वेतन की छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अंतर की उस रकम को वापिस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरी सेवानिवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (ii) / संशोधित छुट्टी नियमावली 1933 के नियम (ख) (ii) (ग) (ii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होगी।

I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/ commuted leave and that admissible during leave on half average pay/ half pay leave, which would not have been admissible had the provisio to F.R 81 (b) (ii) /rule 11 (c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied in the event of my retirement from service at the end of during the currency of the leave.

- 14 मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने या सेवा से त्यागपत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सका, जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो अग्रिम छुट्टी के दौरान, जो मूल नियम 81 (ग) संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम ॥ घ के लागू न किए जाने पर मुझे न मिल पाती तो प्राप्त किए गए छुट्टी के वेतन को वापिस कर दूंगा ।

I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible and F. R.81(c) /Rule 11 (d) of Revised Leave Rules, 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time or until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

तारीख Date

प्रार्थी के हस्ताक्षर Signature of the Applicant

- 15 नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और या सिफारिश  
Remarks and /or Recommendation of the Controlling Officer.

तारीख Date. :

हस्ताक्षर Signature .

पदनाम Designation:

**छुट्टी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाणपत्र**

**Certificate Regarding Admissibility of Leave**

(राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में महालेखाकार द्वारा)  
(By Account General in the case of Gazetted Officers)

प्रमाणित किया जाता है कि \$. . . . . से . . . . . तक . . . . . दिन . . . . .

नियमावली के नियम . . . . . के अधीन (छुट्टी की किस्म) अनुमत्य हैं ।

Certified that . . . . . ( Nature of Leave) for . . . . . from . . . . .

. to . . . . . is admissible under Rule . . . . . of the Rules.

तारीख Date :

हस्ताक्षर Signature .

पदनाम Designation

- 16 \* स्वीकृति देने वाले अधिकारी का आदेश  
Orders of the Sanctioning Authority

तारीख Date

हस्ताक्षर Signature .

पदनाम Designation

यदि प्रार्थी को कोई प्रतिपूरक भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी के उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहाँ इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो/If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.